मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2006 (चैत्र 2, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड मंडीदीप, भोपाल का 14 वां एवं 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

(2) चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम सहसराम से डकैतों द्वारा एक व्यापारी के अपहरण का प्रयास किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्य न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, ग्वालियर नगर में अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे एक व्यक्ति द्वारा आत्मदाह किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम पतानेर निवासी महिला की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री शिवराज शाह, दुलीचंद उरैती, देवसिंह सैयाम, सदस्य, मंडला जिले में मुक्ति मोर्चा के सदस्यों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री रमेश सक्सेना, सभापति, याचिका समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री ध्यानेन्द्र सिंह सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बाईसवां से उनतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का षष्टम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मोहन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम झाड़ला से ढाबला तक सड़क बनाये जाने,

(2) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) विकास खण्ड उमरियापान के पान बरेजों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने, तथा

(ख) खितौला-उमरियापान मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(3) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के -
(क) ग्राम पारसेन में पुलिस चौकी खोले जाने,
(ख) ग्राम कुंवरपुर में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने, तथा
(ग) ग्राम दंगियापुरा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(4) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
(क) बरमानघाट (नर्मदा नदी) पर पुल बनाये जाने
(ख) ककराघाट (नर्मदा नदी) पर पुल बनाये जाने, तथा
(ग) ग्राम आंवरिया से डोभी तक सड़क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वित्त मंत्री का वक्तव्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 15) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वकतव्य देंगे.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री, भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 7 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 8 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

30 मि. (3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 3 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 5 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक: 22 मार्च, 2006